न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर, केम्प सागर म0प्र0

कृष्णकुमार (फौत) द्वारा वारसान :-

1. श्रीमति भारती नायक पत्नि स्व0 कृष्णकुमार नायक

2. पूर्णिमा नायक पुत्री स्व0 कृष्णकुमार नायक

3. अनुपमा नायक पुत्री स्व0 कृष्णकुमार नायक

सभी निवासी- किशोरगंज मोहल्ला, तहसील पन्ना

जिला पन्ना म0प्र0

....आवेदक/निगरानीकर्तागण.

// विरुद्ध //

1. श्रीमति शांतिदेवी पत्नि स्व0 रामकुमार नायक

2. शिवकुमार नायक पिता स्व0 मोहनलाल नायक

दोनों निवासी- किशोरगंज मोहल्ला, तहसील पन्ना

जिला पन्ना म0प्र0

3. म0 प्र0 शासन ....अनावेदक/उत्तरदातागण.

रा0प्र0क्र0- ता0 प्रस्तुति- .03.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

निगरानीकर्ता/आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अति0 कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक- 379/अ-20/वर्ष 2005-06 पक्षकार- श्रीमती शांति देवी बनाम कृष्णकुमार वगैरा में पारित आदेश दिनांक- 5.2.2014 से दुखित होकर निम्नानुसार तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1133 /III/ 2014 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 379 अ 20 / 05–06 अभ्या. में पारित आदेश दिनांक 17.2.14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नजूल अधिकारी पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 653 / अ–20 / (1)1981–82 में पारित आदेश दिनांक 16–1–92 व्दारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है और इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त न्यायालय में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17–2–14 पारित किया गया है, जिसके विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ राजस्व पुस्तिक परिपत्र चार–3 की कंडिका 18 में अभ्यावेदन का प्रावधान है जिसके अनुसार नजूल अधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अभ्यावेदन कलेक्टर को, कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन आयुक्त को और आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व राज्य शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है ,	

जिसके कारण विचाराधीन निगरानी श्रवणाधिकार क्षेत्र के वाहर होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर